

सड़क सुरक्षा—शिक्षा

विषय

भूगोल

पाठ

परिवहन एवं संचार व्यवस्था



उद्देश्य : यात्रा के साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना

विषय वस्तु :

“बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडार” (B.R.T.) एक ज्वलंत विवाद का विषय बन चुका है।

इस व्यवस्था से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों की यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

निम्नलिखित सुझावों की क्रियान्वति से सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है—

(अ) सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग को विचित्र उत्प्रेरक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित किया जाए।



B.R.T. गलियारा



सार्वजनिक परिवहन सेवा

(ब) छोटी एवं मध्यम श्रेणी की कारों के अलावा, प्रत्येक वाहन के लिये “बस लेन ही उपयोग करना अनिवार्य हो, ताकि कार लेन में होने वाली भीड़ की समस्या को कम किया जा सके। क्योंकि बस लेन द्वारा काफी स्थान घेर लिया जाता है जबकि दिन में अधिकतर समय यह खाली रहती है।

(स) दुपहिया और तीन पहिया वाहनों द्वारा दुपहिया लेन का ही सख्ती से उपयोग किया जाए।

(द) पैदल चलने वालों द्वारा सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिये थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 'फुट ओवरब्रिज' का निर्माण कराया जाए।

(य) सड़क, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सर्वाधिक व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के आबादी का घनत्व का भलीभाँति, अध्ययन करके, प्रत्येक यातायात सिगनल पर समय निर्धारित किया जाये।



पदयात्री पुलिया

गतिविधि :

सार्वजनिक यातायात के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नारा (स्लोगन) लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करें।

अभ्यास :

देहली में B.R.T. कॉरीडोर के सही क्षेत्र का पता लगाएँ और भारत के अन्य कस्बों या शहरों में इसके और अधिक सीमा तक विस्तार के बारे में सामान्य परिचर्चा का संचालन करें।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए
सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का
प्रयोग करें।



विषय

अर्थशास्त्र

पाठ

विकास



उद्देश्य : सड़क पर वयोवृद्ध, विशेष योग्यजन और युवाओं की खास आवश्यकताओं को समझना।

विषय-वस्तु : (अ) कस्बों एवं शहरों में बुनयादी संरचना का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यावहारिक योजना के बाद किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, सभी सड़कों, पगडंडियों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष योग्यजन की आवश्यकतानुसार 'रैम्प सुविधा उनकी सुविधा और सुरक्षा को निश्चित करते हुए बनाने चाहिए। (ब) यात्रियों के चलने फिरने को सरल एवं सुसाध्य बनाने एवं उनके सामान की सुविधा पूर्वक लाने ले जाने के लिए प्रत्येक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डों पर पहुंचने की सड़कों, रेलवे स्टेशन आदि पर "रैम्प" व चलती सीढ़ी की सुविधा होनी चाहिए ताकि ऐसे स्थानों पर 'फुट ब्रिज' के ढह जाने अथवा भगदड़ मचने की घटनाओं आदि को कम किया जा सके।



शारीरिक रूप से असहाय व्यक्ति
रैम्प के सहारे बस में चढ़ते हुए

विकास व्यक्ति को ज्यादा आर्थिक संसाधन के साथ सशक्त करता है जो व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता एवं आर्थिक सम्पन्नता की ओर ले जाती है। इसके फलस्वरूप शहर की सड़कों पर कारों की संख्या, कार चालकों का अविवेक पूर्ण व्यवहार, अत्यधिक नाबालिगों द्वारा कार चलाने से घातक दुर्घटनाएँ, नशा करके गाड़ी चलाने आदि की संख्या बढ़ी है। ऐसे खतरों के मामले केवल सख्त सजा से ही समाप्त किये जा सकते हैं, जो ऐसे वर्ग के लिये एक उदाहरण बन सकें।

अभ्यास :

अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखकर सोचें कि आप को अपने परिवार के किसी वयोवृद्ध सदस्य अथवा विशेष योग्यजन के साथ साधारण यातायात व्यवस्था से आम स्थान जैसे – बैंक, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि पर जाना पड़ सकता है। आप कौन-कौन सी अड़चनों (बाधाओं) का सामना करेंगे और अकस्मात् सामने आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान निकालेंगे ?

गतिविधि :

“वयोवृद्ध या विशेष योग्यजन का सड़क पर अधिकार” विषय पर एक सार्वजनिक सूचना का अभियान आयोजित करें।

“टक्कर मारकर भागने का प्रकरण :

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेरेरा की सजा का समर्थन

CNN-/BN/12 January 11.25 AM.

नई दिल्ली – बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एलीस्टेअर एन्थनी पेरेरा के टक्कर मारकर भागने के प्रकरण में उसे दोषी ठहराये जाते हुए फैसले को यथावत् रखा जिसमें मुंबई में छह साल पहले सात व्यक्ति मारे गये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पेरेरा की जमानत की अनुमति भी रद्द कर दी और बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तीन वर्ष की जेल की सजा भुगतने का आदेश दिया।

R.M. Lodha की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने उसकी जमानत रद्द कर दी और जेल में शेष अवधि गुजारने के आदेश दिए। न्यायालय ने पेरेरा द्वारा भेजी गई विशेष अवकाश याचिका, जिसमें बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराये जाने के फैसले को चुनौती दी थी, पर निर्णय दिया। धारा 304 के अन्तर्गत तीन वर्ष की सख्त कैद, धारा 333 के अन्तर्गत एक वर्ष और छः माह की कैद, भयंकर चोट पहुंचाने के लिए पेरेरा को सजा दी गई। फैसला देते समय न्यायालय ने व्यक्त किया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

वर्ष 2006 में 21 वर्षीय पेरेरा ने बान्द्रा में सड़क की पगडंडी पर सोए हुए पन्द्रह लोगों पर अपनी ‘टोयोटा करोला’ कार चढ़ाकर कुचल दिया था। वह उस समय नशे में पाया गया था। सात श्रमिक मारे गए थे व अन्य कई घायल हो गए थे। ‘सेशन कोर्ट’ ने बिना दण्ड दिए पेरेरा को उदारता से छोड़ दिया, बाद में बाम्बे उच्च न्यायालय ने ‘सेशन कोर्ट’ के फैसले के सार्वजनिक विरोध से इस मुकदमे को फिर से खोला।

राज्य सरकार ने भी सख्त सजा की मांग करते हुए पुनः परीक्षण प्रार्थना पत्र दिया।



विषय

नागरिक शास्त्र

पाठ

प्रजातन्त्र के प्रभाव



- उद्देश्य :** 1. छात्रों को लोकतांत्रिक आवश्यकताओं से अवगत कराना और उन्हें सड़क पर विनम्र और सही उपयोगकर्ता बनाना।
2. उनको जीवन के महत्व के बारे में समझाना

विषय-वस्तु :

लोकतन्त्र के परिमाण का सबसे महत्वपूर्ण मापदण्ड नागरिक का 'जीने का अधिकार' है।

सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क हिंसा की बढ़ती हुई दुर्घटना/घटनाओं से 'जीने का अधिकार' का उल्लंघन होता है एवं प्रजातंत्र के आधारभूत प्रभाव को कम करने के कारणों में से एक है। इस प्रकार से भावी नागरिकों को यातायात के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। निम्नलिखित गतिविधियाँ व अभ्यास कार्य आपको हमारे, जीवन में सड़क सुरक्षा की महत्ता को महसूस कराएँगी।



चालकों के नशे में चान चलाने पर हर वर्ष लोग हादसे के शिकार होते हैं।



मोबाइल फोन, तेज स्वर का संगीत, कार में बच्चों का शोर मचाना आदि चालक को वाहन चलाने में व्यवधान डालते हैं।



सड़क पर क्रोधोन्माद, भारत में सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है।

अभ्यास :

1. मौसम की दशा या शराब का प्रभाव कहाँ तक सड़क हिंसा या क्रोधोन्माद पैदा करते हैं ?
2. क्या बाँई तरफ 'यू टर्न' लेने की अनुमति है ?
3. 'बस लेन' का क्या तात्पर्य है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है ?

गतिविधि :

(i) निम्न पर विचार विमर्श और सामान्य चर्चा कीजिए –

(अ) आज के यातायात घटनाक्रम (या व्यवस्था) में नागरिकों का सम्मान व अधिकार अत्यन्त आवश्यक है।

(ब) सड़क क्रोधोन्माद मृत्युकारक है।

(ii) पैदल चलने वालों व वाहन चालकों को पृथक् पृथक् रखते हुए यातायात के लिए प्रयुक्त भू क्षेत्र की गतिविधि का आयोजन अपने सहपाठियों के साथ करें। जैसे – 'जीब्रा क्रॉसिंग', बस लेन, 'यू टर्न', आदि। इस पर रिपोर्ट तैयार करें।

(iii) समाचारपत्र की कतरनों (Clippings) की मदद से कार्य योजना की फाईल (Project File) तैयार करें, जो हाल ही के 'केसेज' से सम्बन्धित हो, जिसमें जीने का अधिकार व स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका हो, सड़क क्रोधोन्माद कम करने के तरीके बताइये।

